

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 842 / 203 / आउशि / बजट / 2018  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27-4-2018

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 0798 एवं 6066 अन्तर्गत "संबद्धता शुल्क" के भुगतान एवं "वर्दी" मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट आबंटन संबंधी।

उपरोक्त विषय में ज्ञात हो कि योजना क्रमांक 0798 एवं 6066 अन्तर्गत संबद्धता शुल्क के भुगतान एवं वर्दी मद अन्तर्गत महाविद्यालयों को विगत वर्षों में समय-समय पर उनकी मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के आधार पर आबंटन जारी किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी उक्त योजना में बजट प्रावधान है। अतः जिन शासकीय महाविद्यालयों को योजना अन्तर्गत संबद्धता शुल्क के भुगतान एवं वर्दी मद अन्तर्गत राशि की आवश्यकता है वह न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्ताव 15 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

प्रपत्र --"अ"

संबद्धता शुल्क 2018-19 के भुगतान हेतु बजट आबंटन संबंधी

वर्ष 2017-18 में प्राप्त आबंटन	वर्ष 2017-18 में व्यय राशि	संकाय / विषय	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर	वर्ष 2018-19 के लिए चाही गई राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6


प्रपत्र --"ब"

वर्दी मद अन्तर्गत 2018-19 के लिए भुगतान हेतु बजट आबंटन संबंधी

वर्ष 2017-18 में प्राप्त आबंटन	वर्ष 2017-18 में व्यय राशि	कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्म. की संख्या	वर्दी हेतु निर्धारित दर	वर्ष 2018-19 के लिए वांछित राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

निरंतर.....2

- संबद्धता शुल्क हेतु जनभागीदारी द्वारा संचालित स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम की संबद्धता शुल्क की मांग शामिल नहीं करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करें कि स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की संबद्धता संबद्धता शुल्क की मांग इसमें शामिल नहीं है।
- वर्दी मद अन्तर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या के आधार पर वर्दी की न्यूनतम दर अनुसार वास्तविक गणना कर प्रस्ताव भेजें।
- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राचार्य के हस्ताक्षरयुक्त पत्र बजट शाखा के ई-मेल [budgethedu@mp.gov.in](mailto:budgethedu@mp.gov.in) मेल करें एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध करायें।
- प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ स्पष्ट होना चाहिए। अपूर्ण एवं अस्पष्ट तथा समयावधि में प्राप्त नहीं होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

